

डिग्री व मुकदमें ईत्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-20/2019
दीवानसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी।

-वादी

- बनाम
1. मिन्दरो पत्नी मंगलसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी।
 2. चन्दकौर पुत्री मंगलसिंह पत्नी गुरबचनसिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी।
 3. सर्दूलसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी।
 4. मखनसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी।
 5. सरजीतसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी।
 6. नानकसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी।
 7. जंगीरो पुत्री मंगलसिंह पत्नी बूटासिंह जाति बावरी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा।
 8. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।
- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री बनवारीलाल गौड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री रूपराम कासनियां प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि मृतक मंगलसिंह के नाम से चक नं.4 एसबीएन व चक नं.5 एसबीएन में दर्ज आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार प्राप्त हुई है:-

- (क)-वादी दीवानसिंह को प्राप्त आराजी:-चक नं. 5 एसबीएन के प.नं. 212/204 मु.नं. 27 कि. नं. 17,18,19/0.759 है.
- (ख)-प्रतिवादीया संख्या 1 मिन्दरों को प्राप्त आराजी:-चक नं. 5 एसबीएन के प.नं. 212/204 मु.नं. 27 कि.नं. 22 व चक नं. 4 एसबीएन के प.नं. 213/204 मु.नं. 12 कि.नं. 9,12
- (ग)-प्रतिवादीया संख्या 2 चन्दकौर को प्राप्त आराजी:-चक नं.5 एसबीएन के प.नं. 212/204 मु.नं. 27 कि.नं. 6,7,8/0.759 है.
- (घ)-प्रतिवादी संख्या 3 सरदूलसिंह को प्राप्त आराजी:-चक नं. 5 एसबीएन के प.नं. 212/204 मु.नं. 27 कि.नं. 13,14,15/0.759 है.
- (ङ)-प्रतिवादी 4 मखनसिंह को प्राप्त आराजी:-चक नं. 4 एसबीएन के प.नं. 213/204 मु.नं. 12 कि.नं. 19,20,21/0.759 है.
- (च)-प्रतिवादी संख्या 5 सरजीतसिंह को प्राप्त आराजी:-चक नं. 5 एसबीएन के प.नं. 212/204 मु.नं. 27 कि.नं. 23, प.नं. 212/205 मु.नं. 36 कि.नं. 3,4 कुल 0.759 है.
- (छ)-प्रतिवादी संख्या 6 नानकसिंह को प्राप्त आराजी:-चक नं. 4 एसबीएन के प.नं. 213/204 मु.नं. 12 कि.नं.2,10,11 /0.759 है.
- (ज)-प्रतिवादी संख्या 7 जंगीरो को प्राप्त आराजी:-चक नं. 5 एसबीएन के प.नं. 212/204 मु. नं. 27 कि.नं. 16,24,25/0.759 है.

उपर्युक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं.1 ता 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चक नं. 4 एसबीएन के खाता संख्या 83/72 व चक नं. 5 एसबीएन के खाता संख्या 96/96 में से मृतक मंगलसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुक्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक१.९.१२.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....१.९.१२.....को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सुदक्ष कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी